



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09052026-272406
CG-DL-E-09052026-272406

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2276]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 8, 2026/वैशाख 18, 1948

No. 2276]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 8, 2026/VAISAKHA 18, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2026

का.आ. 2367(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि राजस्थान राज्य के दौसा जिले में NHNE 4C के कि.मी. 9.25 से कि.मी.32.74 (कलेक्टर कार्यालय, दौसा) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् एसडीओ दौसा को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने

जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के दौसा जिले में NHNE 4C के कि.मी. 9.25 से कि.मी.32.74 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: राजस्थान			जिले का नाम: दौसा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: दौसा					
गांव का नाम: खुरी खुर्द					
1	1685/188	निजी	बारानी-2 (निजी)	0.0636 (हेक्टेयर)	0.0636
2	1689/193	निजी	बारानी-2 (निजी)	0.0537 (हेक्टेयर)	0.0537
3	1691/193	निजी	बारानी-2 (निजी)	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
4	1697/190	निजी	बारानी-2 (निजी)	0.0462 (हेक्टेयर)	0.0462
5	1699/191	निजी	बारानी-2 (निजी)	0.0258 (हेक्टेयर)	0.0258
6	1701/194	निजी	बारानी-2 (निजी)	0.0259 (हेक्टेयर)	0.0259
7	1705/1683	निजी	बारानी-2 (निजी)	0.0419 (हेक्टेयर)	0.0419
8	1707/1703	निजी	बारानी-2 (निजी)	0.0051 (हेक्टेयर)	0.0051
9	1708/1703	निजी	बारानी-2 (निजी)	0.0483 (हेक्टेयर)	0.0483
10	1709/1703	निजी	बारानी-2 (निजी)	0.0015 (हेक्टेयर)	0.0015
11	1713/1686	निजी	बारानी-2 (निजी)	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
12	1714/1686	निजी	बारानी-2 (निजी)	0.0394 (हेक्टेयर)	0.0394
13	1715/1688	निजी	बारानी-2 (निजी)	0.0464 (हेक्टेयर)	0.0464
14	1716/1688	निजी	बारानी-2 (निजी)	0.0212 (हेक्टेयर)	0.0212
15	384	निजी	बारानी-2 (निजी)	0.0902 (हेक्टेयर)	0.0902
16	385	निजी	बारानी -2 (निजी)	0.0421 (हेक्टेयर)	0.0421

17	482	सरकारी	चारागाह (सरकारी)	0.1699 (हेक्टेयर)	0.1699
18	490/1611	सरकारी	गैर मुमकिन रास्ता (सरकारी)	0.0724 (हेक्टेयर)	0.0724
19	501	सरकारी	बंजड़ (सरकारी)	0.0152 (हेक्टेयर)	0.0152
20	501/2	निजी	बारानी-3 (निजी)	0.0108 (हेक्टेयर)	0.0108
21	502	सरकारी	बारानी-2 (सरकारी)	0.0441 (हेक्टेयर)	0.0441
22	504/1	निजी	बारानी-2 / गैर मुमकिन उद्योग (निजी)	0.0116 (हेक्टेयर)	0.0116
Total					0.9153

[फा. सं. NHA/53012/21/PIU/DAU/Dausa-Jaipur/LA/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th May, 2026

S.O. 2367(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NHNE 4C in the stretch of land from Km. 9.25 to Km. 32.74 (Collectorate Office, Dausa) in the district of DAUSA in the state of RAJASTHAN, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, SDO Dausa in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NHNE 4C in the stretch of land from Km. 9.25 to Km. 32.74 (Collectorate Office, Dausa) in the district of DAUSA in the state of RAJASTHAN

State: RAJASTHAN			District: DAUSA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Dausa					
Village: Khuri Khurd					
1	1685/188	Private	Barani-2	0.0636 (Hectare)	0.0636
2	1689/193	Private	Barani-2	0.0537 (Hectare)	0.0537
3	1691/193	Private	Barani-2	0.02 (Hectare)	0.02
4	1697/190	Private	Barani-2	0.0462 (Hectare)	0.0462
5	1699/191	Private	Barani-2	0.0258 (Hectare)	0.0258
6	1701/194	Private	Barani-2	0.0259 (Hectare)	0.0259
7	1705/1683	Private	Barani-2	0.0419 (Hectare)	0.0419
8	1707/1703	Private	Barani-2	0.0051 (Hectare)	0.0051
9	1708/1703	Private	Barani-2	0.0483 (Hectare)	0.0483
10	1709/1703	Private	Barani-2	0.0015 (Hectare)	0.0015
11	1713/1686	Private	Barani-2	0.02 (Hectare)	0.02
12	1714/1686	Private	Barani-2	0.0394 (Hectare)	0.0394
13	1715/1688	Private	Barani-2	0.0464 (Hectare)	0.0464
14	1716/1688	Private	Barani-2	0.0212 (Hectare)	0.0212
15	384	Private	Barani-2	0.0902 (Hectare)	0.0902
16	385	Private	Barani -2	0.0421 (Hectare)	0.0421
17	482	Government	Charagah	0.1699 (Hectare)	0.1699
18	490/1611	Government	Gair Mumkin Rasta	0.0724 (Hectare)	0.0724
19	501	Government	Banjad	0.0152 (Hectare)	0.0152
20	501/2	Private	Barani-3	0.0108 (Hectare)	0.0108
21	502	Government	Barani-2	0.0441 (Hectare)	0.0441
22	504/1	Private	Barani-2 / Gair Mumkin Udhog	0.0116 (Hectare)	0.0116
Total					0.9153

[F. No. NHAI/53012/21/PIU/DAU/Dausa-Jaipur/LA/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director